HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12251/2025

Komal Bansal (Jain) W/o Sh. Ankit Bansal, Aged About 29 Years, R/o 187/25, Arya Nagar, Sonipat, Haryana.

----Accused/Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2777/2026

Poonam Bhola D/o Shri Baldev Bhola, Aged About 24 Years, R/o E-227, Parshwanath Apartment, Nanta, Kota.

----Accused-Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Dinesh Bishnoi Mr. Neeraj Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

18/02/2026

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12251/2025

प्रार्थीया/अभियुक्ता के विद्वान अभिभाषक का प्रार्थीया/अभियुक्ता कोमल बंसल के विरुद्ध पुलिस द्वारा जमानतीय अपराध मानकर जमानत मुचलके तस्दीक किए जाने के कारण से प्रार्थीया/अभियुक्ता कोमल बंसल का जमानत प्रार्थना पत्र प्रत्याहरित करने का निवेदन करते हैं।

अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः उक्त जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीया/अभियुक्ता कोमल बंसल की हद तक उक्त जमानत प्रार्थना पत्र प्रत्याहरित किए जाने के आधार पर खारिज किया जाता है।

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2777/2026

प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना एस.एम.एस. अस्पताल जिला जयपुर सिटी (पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 76/2025 अपराध अंतर्गत धारा 261, 262 भारतीय न्याय संहिता में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थीया/अभियुक्ता के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता पूनम भोला तथा प्रार्थीया/अभियुकता कोमल बंसल का एक समान आरोप है। लेकिन कोमल बंसल को पुलिस ने जमानतीय अपराध मान लिया है, लेकिन पूनम भोला के विरुद्ध जमानतीय अपराध नहीं माना है और प्रार्थीया/अभियुक्ता पूनम भोला पर केवल यह आरोप है कि उसने जेल में बंद अपने प्रेमी को एस.एम.एम अस्पताल से होटल बेलागासा तक कैब बुक करवायी और होटल बेलागासा में रूम बुक किया था। उससे अनुसंधान किया जाना शेष नहीं है। प्रार्थीया/अभियुक्ता अनुसंधान के लिए तैयार है, वह महिला है। प्रार्थीया/अभियुक्ता के द्वारा गवाहों को डराने या धमकाने का कोई अंदेशा नहीं है। यदि उसे अकारण गिरफ्तार किया गया तो उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि यह सही है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता पूनम भोला व कोमल बंसल का समान प्रकृति के अपराध का आरोप है, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

मैंने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीया/अभियुक्ता पूनम भोला व सहअभियुक्त कोमल बंसल ने अपने अपने प्रेमी को एसएमएस अस्पताल से होटल बेलागासा तक कैब बुक करवाने और रूम बुक करवाने के अपराध का आरोप है। सहअभियुक्त कोमल बंसल के विरुद्ध जमानतीय अपराध का आरोप पुलिस द्वारा लगाया गया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता पूनम भोला के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं बताया गया है, वह महिला है। प्रकरण में प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरुद्ध सहअभियुक्त कोमल बंसल के समान अपराध का आरोप बताया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता अनुसंधान में सहयोग करने के लिए तैयार है।

अतः प्रस्तुत तर्कों, मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थीया/अभियुक्ता **पूनम भोला पुत्री बलदेव भोला** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा संबंधित अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहां पंजीबद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीया/अभियुक्ता को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रार्थीया/अभियुक्ता उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थीया/अभियुक्ता पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जानेवाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगी।
2. कि प्रार्थीया/अभियुक्ता इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट

न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।

3. कि प्रार्थीया/अभियुक्ता बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगी।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /11-12